कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन(एडीआर), जिला न्यायालय परिसर,
हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़

फोन नं. 01552–262027

ई–मेल dlsahanumangarh@gmail.com

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त रूप में विवरणः–

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ द्वारा प्रत्येक त्रैमास में उचित स्थान का चयन करते हुए मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर के माध्यम से सम्भवतः समस्त विभागों को उक्त शिविर में स्टाल लगाकर शिविर में पधारे आमजन को उनकी पात्रता के अनुरूप मौके पर ही लाभ प्रदान किया जाता है। जिला न्यायक्षेत्र, हनुमानगढ़ में वर्ष 2017 तक कुल 04 मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया जिनसे शिविर की तैयारियों से पूर्व 50520 एवं शिविर के दौरान कुल 3170 व्यक्तियों/प्रतिभागियों/आमजन को लाभान्वित किया गया।

- जिला न्यायक्षेत्र, हनुमानगढ़ में जनवरी, 2016 से सितम्बर, 2017 तक सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत मोबाईल वाहन के माध्यम से कुल 191 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाकर 17562 व्यक्तियों/प्रतिभागियों/आमजन को विधिक जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

- जिला न्यायक्षेत्र, हनुमानगढ़ में दिनांक 01.01.2017 से 31.11.2017 तक मध्यस्थता के क्षेत्र में पूरे जिले में कुल 697 प्रकरणों को रैफर किया गया जिसमें से 16 प्रकरण सफल, 98 प्रकरणों में राजीनामा नहीं होने से असफल तथा 555 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित न आने से असफल हुए।

- जिला न्यायक्षेत्र, हनुमानगढ़ में दिनांक 01.01.2017 से 30.11.2017 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में कुल 493 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाकर 32292 व्यक्तियों/प्रतिभागियों/आमजन को विधिक जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत स्कीम के प्रारम्भ से लेकर आज दिनांक तक पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 58 प्रकरणों में 78,30,000/– रूपये का भुगतान किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत नियमित समाचार पत्र के माध्यम से एसिड अटैक हमले का मामला सामने आया। घटना उपरान्त तुरन्त दिनांक 11.07.2016 को पूर्णकालिक सचिव, हनुमानगढ़ द्वारा पीड़िता/पीड़िता के परिजन से घटना के बारे में विचार–विमर्श किया तथा उन्हे राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के उपरान्त दिनांक 11.07.2016 को आवेदन करने पर तुरन्त पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक का दिनांक 12.07.2016 को आहूत की गई व बैठक में 150000 एक लाख पचास हजार रूपये अन्तरिम प्रतिकर देने का निर्णय लिया गया।

- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में पीड़िता परमजीत कौर निवासी जण्डावाली को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत दिनांक 08.03.2017 को 5,00,000 रूपये अन्तिम प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये गये। परमजीत कौर के पति बलदेव सिंह दिनांक 19.10.2015 व 20.10.2015 की मध्य रात्रि को अपने खेत की रखवाली के लिये सोया हुआ था, जिनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी।

- माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा **Rajesh sharma & Ors. V/s State of U.P. and anr SLP (Criminal No. 2013/17)** में पारित निर्देशों की पालना में परिवार कल्याण समिति का गठन किया गया है। जो कि धारा 498ए दहेज संबंधी मामलों में दोनो पक्षकारान को तलब कर उनके मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करते है और संबंधी ऑथोरिटी को प्रेषित करते है। जब तक परिवार कल्याण समिति द्वारा अपने तथ्यात्मक रिपोर्ट से संबंधित न्यायालय या पुलिस को प्रेषित नहीं की जाती तब तक उस मामले में अभियुक्त व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया जाता। माह के प्रत्येक मंगलवार को यह कमेटी कार्य करती है।

- विधिक सहायता के अन्तर्गत जनवरी 2016 से दिसम्बर 2017 तक कुल 123 व्यक्तियों को राजकीय व्यय पर विधिक सहायता प्रदान की गई है।

- स्थाई लोक अदालत में जनवरी 2017 से नवम्बर 2017 तक कुल 38 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। वर्तमान में स्थाई लोक अदालत में कुल 11 सेवाएं परिवहन सेवा (माल/व्यक्ति), डाक, तार व टेलीफोन सेवा, विद्युत व जल आपूर्ति सेवा, बैंककारी एवं वित्तीय सेवा संबंधी सेवाएं, शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान, जन स्वच्छता से जुड़ी हुई पद्धति, लिक्विफाईड एवं पेट्रॉलियम गैसें संबंधी, चिकित्सा सेवा, बीमा सेवा, आवासीय सेवा, आवास व भू–सम्पदा सेवा है। स्थाई लोक अदालत में 1,00,000 एक करोड़ तक के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते है।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में महिला दिवस 08.03.2017 से महिला सहायता क्लिनिक केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। जिसमें एक महिला पैनल अधिवक्ता एवं एक पीएलवी कार्यरत है। जो कि प्रतिदिन कार्यालय समय 10 से 05 तक कार्य रहती है। जो केन्द्र पर आने वाली समस्त महिलाओं को विधिक जानकारी न्यायालय में उनके प्रकरणों में पैरवी करने के संबधं में और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान किये है या कोई सहायता प्रदान की है तथा उसमें वह अधिकार व लाभ प्राप्त करने का भी कार्य करती है। महिला सहायता क्लिनिक द्वारा प्रारम्भ से लेकर आज दिनांक 30.11.2017 तक कुल 428 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

- माननीय नालसा एवं रालसा के निर्देशानुसार समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती

है। जिसमें समस्त प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण कर अवकाश के दिन न्याय दिलाया जाता है ताकि उनके समय व धन की बचत हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2016 से दिसम्बर 2017 तक कुल 15144 प्रकरण निस्तारित किये गये। इसके अलावा प्रत्येक माह के अन्तिम सोमवार को हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ द्वारा पूरे जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर, समस्त पुलिस थानों में, समस्त कारागृहों में, समस्त न्यायालयों में, समस्त नगरपालिकाओं में, पंचायत समिति में विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। हनुमानगढ़ जिले में कुल 294 विधिक सेवा केन्द्र स्थापित किये गये है। इन विधिक सेवा केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति पीएलवी के समक्ष अपनी समस्या रख सकता है। पीएलवी द्वारा नियमानुसार संबंधित व्यक्ति को सुझाव, विधिक जानकारी, विधिक सहायता प्रदान की जाती है। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर कुल 114 पैरालीगल वॉलिन्टीयर्स कार्यरत है।

ज्ञानप्रकाश गुप्ता
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़